नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांकः– 22–06/12–................/आ0प्र0, दिनांकः– ....../......./2014

–:आदेशः–

नालन्दा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर के जले रहने/विद्युत तार के कटे रहने आदि कारणों से कुछ गाँवों एवं टोलों में विद्युत आपूर्ति एक समयावधि में नहीं हुई, परन्तु इस तथ्य की जानकारी बिलिंग डाटा में नहीं रहने के कारण उपभोक्ताओं को उस अवधि का भी विद्युत विपत्र भेजा जा रहा है, जबकि किसी अवधि में क्षेत्र विशेष में विद्युत की आपूर्ति नहीं हुई है तो उस अवधि का विद्युत विपत्र नहीं भेजा जाना चाहिये।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना के पत्रांक– 415, दिनांक– 14.12.2013 के आलोक में ऐसी शिकायतो की जाँच करने हेतु निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन किया जाता है।

1. श्री मणिभूषण किशोर, वरीय उप समाहर्त्ता, नालन्दा।
2. संबंधित सहायक विद्युत अभियंता, संबंधित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल।
3. संबंधित कनीय विद्युत अभियंता, संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रशाखा।

उपर्युक्त जाँच समिति विद्युत कम्पनी के दस्तावेजो के आधार पर तथा संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं उपभोक्ताओं से जानकारी प्राप्त कर प्रतिवेदित करेगी कि किस समयावधि में विद्युत की आपूर्ति बाधित रही है। यदि यह तथ्य सही पाया जाता है तो समिति द्वारा दिये गए प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता उस क्षेत्र विशेष के उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र में तदनुसार संशोसन करेगें।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
नालन्दा

ज्ञापांक– 22–06/12–136/आ0प्र0, बिहारशरीफ, दिनांक–6/02/2014

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, विधुत आपूर्ति प्रमंडल, बिहारशरीफ/राजगीर/एकंगरसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/02/14

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा

फोन नं0 :– 06112–235203, 235204, फैक्स नं0 :– 06112–235205, 236854,
ई–मेल :– dm-nalanda.bih@nic.in